<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1180

10 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग

1180. श्री अनिल फिरोजियाः

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री मोहनभाई कुंडारियाः

श्री लल्लू सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस्पात निर्माण में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निजी कंपनियों का राज्य/जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के लिए कुल कारोबार, लाभ/हानि, व्यय, श्रम बल, लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि के संदर्भ में निजी इस्पात कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के तुलनात्मक अध्ययन चार्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कंपनियों की प्रबंधन प्रणाली का और वित्तीय रणनीति का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी स्वामित्व वाली इस्पात कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियां घाटे में चल रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के खरीददारों को इस्पात से बने उत्पादों को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों से अधिमानतः खरीदने के लिए कोई निर्देश/दिशानिर्देश दिए गए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): इस्पात का विनिर्माण करने वाली सरकारी/गैर-सरकारी कंपनियों का राज्य/जिला वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) से (घ): विगत पांच वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में प्रचालन करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कुल कारोबार, व्यय, लाभ, श्रमशक्ति एवं लेखा परीक्षा रिपोर्टों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है। गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और अपेक्षित आँकड़े/सूचना सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। सरकार की भूमिका एक सुविधा-प्रदायक की है जो इस्पात क्षेत्र की दक्षता व निष्पादन में सुधार के लिए अनुकूल परिवेश बनाने हेतु व्यापक नीतिगत मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करती है। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को प्रचालनात्मक एवं वित्तीय स्वायतता प्राप्त है। प्रत्येक कंपनी वाणिज्यिक पहलुओं तथा बाजार के समीकरणों के आधार पर प्रबंधकीय एवं वित्तीय कार्यनीति तैयार करती है।

(ङ): घरेलू विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद खरीद नीति (डीएमआई एंड एसपी) में सरकारी खरीद के मामलों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा देश में विनिर्मित उत्पादों को अनिवार्यतः अधिमानता देने का प्रावधान है।

****

अनुलग्नक ।

लोक सभा में दिनांक 10.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1180 के भाग-(क) का उत्तर

वर्ष 2018-19 में इस्पात के विनिर्माण में संलग्न सरकार द्वारा संचालित/निजी कंपनियों का राज्य/जिला-वार विवरण

राज्य	जिला	इकाइयां
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर	12
	चित्तूर	3
	पूर्व गोदावरी	1
	कृष्णा	3
	नेल्लोर	3
	विशाखापट्टनम	2
	विजयनगरम	2
	पश्चिम गोदावरी	1
	कुल	**27**
अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	3
असम	डिब्रूगढ़	1
	कामरूप	6
	कार्बी आंग्लोंग	1
	कुल	**8**
बिहार	बेगूसराय	1
	लखीसराय	1
	मुजफ्फरपुर	1
	पटना	16
	पूर्णियां	1
	कुल	**20**
छत्तीसगढ	बिलासपुर	1
	दुर्ग	6
	रायगढ़	14
	रायपुर	55
	राजनंदगांव	1

	कुल	**77**
दादरा और नागर हवेली	दादरा और नागर हवेली	20
दमन और दीव	दमन और दीव	3
दिल्ली	उत्तर-पश्चिम दिल्ली	2
गोवा	उत्तर गोवा	6
	दक्षिण गोवा	6
	कुल	**12**
गुजरात	अहमदाबाद	1 1
	आनन्द	2
	भरूच	1
	भावनगर	14
	गांधीनगर	2
	कच्छ	8
	मेहसाणा	8
	पंचमहल	6
	राजकोट	9
	सूरत	1
	सुरेंद्रनगर	1
	वडोदरा	1
	वलसाड	2
	कुल	**66**
हरियाणा	फरीदाबाद	6
	हिसार	2
	पंचकुला	1
	यमुनानगर	1
	कुल	**10**
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1
	सिरमौर	1 1
	सोलन	9
	कुल	**21**

जम्मू और कश्मीर	सांबा	8
झारखंड	बोकारो	4
	धनबाद	1
	पूर्वी सिंहभूम	14
	गिरिडीह	12
	हजारीबाग	1
	जामताड़ा	3
	कोडरमा	4
	रामगढ़	6
	रांची	5
	सरायकेला	15
	कुल	**65**
कर्नाटक	बंगलुरू	4
	बंगलुरू ग्रामीण	1
	बेलगाम	7
	बेल्लारी	6
	चिकबल्लापुर	1
	चित्रदुर्ग	1
	दक्षिण कन्नड	1
	धारवाड़	2
	कोलार	1
	कोप्पल	2
	मैसूर	2
	शिमोगा	2
	तुमकुर	1
	कुल	**31**
केरल	अलपुझा	1
	एर्नाकुलम	3
	कासरगोड	1
	कोल्लम	1
	कोझिकोड	5

	पलक्कड़	23
	त्रिशूर	1
	कुल	**35**
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
	धार	6
	मंदसौर	1
	रायसेन	1
	सतना	2
	कुल	**1 1**
महाराष्ट्र	अहमदनगर	1
	औरंगाबाद	1
	भंडारा	1
	चंद्रपुर	1
	जालना	10
	कोल्हापुर	5
	नागपुर	5
	नासिक	5
	पालघर	5
	पुणे	5
	रायगढ़	3
	सांगली	5
	सोलापुर	1
	ठाणे	6
	वर्धा	2
	कुल	**56**
मेघालय	री भोई	7
ओडिशा	अंगुल	1
	कटक	2
	धेनकनाल	5
	जाजपुर	6
	झारसुगुडा	3

	केंदुझार	8
	खोरधा	1
	संबलपुर	5
	सुंदरगढ़	32
	कुल	**63**
पुडुचेरी	कराईकल	3
	पुडुचेरी	7
	कुल	**10**
पंजाब	बठिंडा	1
	फतेहगढ़ साहिब	58
	होशियारपुर	1
	जालंधर	2
	लुधियाना	48
	पटियाला	2
	रूपनगर	1
	संगरूर	2
	एसएएस नगर	2
	कुल	**117**
राजस्थान	अजमेर	1
	अलवर	16
	भीलवाड़ा	3
	जयपुर	16
	जालौर	1
	कोटा	1
	नागौर	1
	सीकर	2
	कुल	**41**
	चेन्नई	3
	कोयंबत्तूर	50
	धर्मपुरी	1
	डिंडीगुल	4

तमिलनाडु	इरोड	2
	कांचीपुरम	3
	कृष्णागिरी	5
	मदुरै	1
	नमक्कल	2
	सेलम	9
	तुतुकुडी	1
	तिरुचिरापल्ली	2
	तिरुवल्लुर	16
	वेल्लोर	3
	कुल	**102**
तेलंगाना	हैदराबाद	3
	मेडक	8
	महबूब नगर	12
	रंगारेड्डी	3
	संगारेड्डी	1
	कुल	**27**
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	4
	बिजनौर	1
	बुलंदशहर	1
	एटा	1
	फतेहपुर	3
	फिरोजाबाद	1
	गौतम बुद्ध नगर	1
	गाज़ियाबाद	12
	गोरखपुर	2
	हमीरपुर	1
	जौनपुर	1
	झांसी	2

	कानपुर देहात	1
	कानपुर नगर	1
	लखनऊ	1
	मुजफ्फरनगर	12
	रायबरेली	1
	कुल	**46**
उत्तराखंड	हरिद्वार	13
	पौड़ी गढ़वाल	15
	उधम सिंह नगर	9
	कुल	**37**
पश्चिम बंगाल	बांकुरा	7
	बर्धमान	29
	हुगली	2
	हावड़ा	1
	कोलकाता	1
	उत्तरी 24 परगना	2
	पुरुलिया	4
	दक्षिणी 24 परगना	3
	पश्चिम मेदिनीपुर	2
	कुल	**51**
कुल योग		**977**

****

अनुलग्नक II

लोक सभा में दिनांक 10.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1180 के भाग-(ख) का उत्तर

कारोबार, व्यय, लाभ, श्रम शक्ति एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में इस्पात सीपीएसई के पिछले पाँच वर्षों का विवरण

वर्ष	सेल				आरआईएनएल				एनआईएनएल			
	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति
	कारोबार	व्यय	कर-पश्चात लाभ/हानि		कारोबार	व्यय	कर-पश्चात लाभ/हानि		कारोबार	व्यय	कर-पश्चात लाभ/हानि	
2014-15	50627	44284	2093	93352	11674.66	9467.30	62.38	18137	1319.52	1207.68	-232.67	1533
2015-16	43294	51477	-4021	88655	12270.58	10754.41	-1420.64	17873	1195.19	1085.46	-334.52	1548
2016-17	49180	54937	-2833	82964	12706.31	14369.53	-1263.16	17838	1288.05	1189.76	-355.77	1545
2017-18	58297	60232	-482	76870	16618.40	16783.87	-1369.01	17617	955.14	927.90	-375.44	1537
2018-19	66267	63773	2179	72339	20844.38	1145.60	96.71	17574	2025.31	2008.63	-403.82	1542
लेखापरीक्षा रिपोर्ट:	वित्त वर्ष 2014-15, वित्त वर्ष 2015-16 एवं वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सेल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीएंडएजी द्वारा कुछ अभ्युक्तियाँ की गई थी, जिनका समुचित उत्तर दे दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2017-18 एवं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीएंडएजी की कोई टिप्पणी नहीं है।				सीएंडएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सभी संबंधित वर्षों में शून्य टिप्पणियाँ।				**लेखापरीक्षा रिपोर्ट:** सीएंडएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सभी संबंधित वर्षों में शून्य टिप्पणियाँ।			

***